कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/ 838 **दिनॉक : 13, 2, 2021**

निविदा के माध्यम से उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर स्थित पॉपलर वृक्षों की बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर स्थित निम्न विवरणानुसार 1704 पॉपलर वृक्षों की बिक्री हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मो से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 24.02.2021 को अपराह्न 3:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा दिनांक 15.02.2021 से दिनांक 23.02.2021 तक पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक केंद्र कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मो की निविदायें स्वीकार की जायेंगीं, जिनके द्वारा दिनांक 22.02.2021 से 23.02.2021 तक पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक तथा दिनांक 24.02.2021 के पूर्वाह्न 12:00 बजे तक निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फीस (Tender Fees) रू0 2240.00 का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा में प्रतिभाग करने हेतु रू0 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम *भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक या यूनियन बैंक, पन्तनगर* शाखा में देय हो को संलग्न कर केंद्र कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। समस्त निविदादाताओं को सुझाव दिया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व पॉपलर वृक्षों का भलीभांति निरीक्षण करने के उपरान्त ही निविदा डाले, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

बिक्री किये जाने वाले पॉपलर वृक्षों का विवरणः-

क्र0सं0	विभाग	वृक्ष प्रजाति	कुल वर्क्षो की संख्या
1.	उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	परिपक्व पॉपलर वृक्षों की सं0	1587
		सूखे पॉपलर वृक्षों की सं0	81
		आंधी से टूटे वृक्षों की सं0	36
		कुल पॉपलर वृक्षों की सं0	1704

निविदा की शर्तें:

1. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार पॉपलर वृक्षों का भली-भॅाति निरीक्षण कर ले, वृक्षों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा किये गये धरोहर धनराशि रू0 1,00,000.00 के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा जमा किये गये सुरक्षा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को निविदा समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रू0 2240/- (रूपये दो हजार दो सौ चालीस मात्र) की निविदा फीस (Tender Fees) वापस नहीं की जायेगी।
3. सफल निविदादाता को समिति की संस्तुति के उपरान्त उच्चतम निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।
4. उच्चतम निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही बैंक ड्राफ्ट बनवाते हुये जमा करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
6. कुलपति महोदय द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा पॉपलर वृक्ष पर कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि का

50 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। जिसमे पहले से जमा किया गया रू0 1,00,000.00 का बैंक ड्राफ्ट समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण के दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है तो वह अगले 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ पॉपलर वृक्ष पर कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार को पॉपलर वृक्ष का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति/सुरक्षा धनराशि के रूप में अलग से जमा करनी होगी। पॉपलर वृक्ष बिक्री की समस्त धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में ***नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर*** के नाम जमा करना होगा। जो केवल ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक या यूनियन बैंक, पन्तनगर*** में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को पॉपलर वृक्ष कटान की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा।

7. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह निविदादाता किसी अन्य ठेकेदार को उपरोक्त वृक्ष बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
9. पॉपलर वृक्षों को केंद्र से बाहर ले जाने के लिए ठेकेदार को केंद्र से गेट पास प्राप्त करना होगा।
10. ठेके की शर्तों के पालनार्थ निविदादाता को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को पॉपलर वृक्ष पर कब्जा लेने की दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
11. वृक्षों की कटाई से पूर्व क्रेता को वृक्षों के विक्रय पर निर्धारित मंडी शुल्क एवं अन्य करों इत्यादि को स्वयं अपने स्तर से संबंधित विभाग में जमा करके उसकी रसीद मूल रूप में उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर जमा करनी तथा शेष 50 प्रतिशत सम्पूर्ण धनराशि केंद्र पर जमा करनी होगी।
12. उच्चतम निविदादाता को छूट प्रजाति एवं नीलाम किये गये वृक्षों को छोड़कर केंद्र के अन्य किसी वृक्ष को नुकसान होता है तो निविदादाता को नुकसान की भरपाई करनी होगी।
13. वृक्षों की कटाई एवं माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के एक माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत तारों के निकट स्थित वृक्षों के कटान में पूरी सावधानी बरतनी होगी, तथा सूचना देकर विद्युत विभाग से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
14. केंद्र के सीमा के समीप लगे हुए वृक्षों को सावधानी से काटना होगा जिससे कि सीमा दीवार को किसी तरह का नुकसान न हो। यदि सीमा दीवार को नुकसान होता है तो क्रेता को उसे स्वतः ही ठीक कराना होगा।
15. प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्षों के जड़ के पास तने में 15×15 सेमी0 पर (+) धन का छाप लगा दिया जायेगा। उक्त छाप वाले वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेगें। निर्देशानुसार वृक्ष की जड़ का खुदान कराना भी अनिवार्य होगा।
16. वृक्षों की लकड़ी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। अतः निविदादाता को निविदा देने से पूर्व मौके पर वृक्षों का स्वयं निरीक्षण कर लेना होगा। बिक्री स्वीकृत होने के उपरान्त लकड़ी में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने पर कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
17. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था करनी होगी।
18. माल की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी से परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।
19. पॉपलर वृक्ष क्रेता तथा उसके सभी कर्मियों के परिचय पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो इस केंद्र के कार्यालय में जमा करने होगें।

20. पॉपलर वृक्ष क्रेता तथा उसके कर्मियों द्वारा कार्य प्रारम्भ से अन्तिम निकासी के दिनांक तक विश्वविद्यालय अथवा उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाये जाने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
21. पॉपलर वृक्ष क्रेता द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी धनराशि (अंको अथवा शब्दों में) जो अधिक होगी वही मान्य होगी।
22. पॉपलर वृक्ष क्रेता को उपरोक्त सभी शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में क्रेता द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त करते हुए बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
23. पॉपलर वृक्ष क्रेता प्रजाति के वृक्षों से जहाँ आवश्यक हो वहाँ 4 इंच चौड़ा गोल सैम्पल आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।

संयुक्त निदेशक
उधान अनुसंधान केन्द्र,
पत्थरचट्टा

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,पंतनगर
निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र सं0
निविदा फीस रू0–2000/– प्रति + 12 % जी0एस0टी0 अतिरिक्त (कुल रू0–2240.00)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि व समय	किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 15.02.2021 से दिनांक 23.02.2021 तक पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	दिनांक 22.02.2021 से 23.02.2021 तक पूर्वाह्न 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक एवं दिनांक 24.02.2021 के पूर्वाह्न 12:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 24.02.2021 के अपराह्न 3:00 बजे
निविदा खुलने का स्थान	उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर स्थित पॉपलर बिक्री हेतु उपलब्ध वृक्षों का विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	वृक्ष प्रजाति एवं संख्या	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर अंको में	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर शब्दों में
1.	परिपक्व पॉपलर वृक्षों की सं0 – 1587 सूखे पॉपलर वृक्षों की सं0 – 81 आंधी से टूटे वृक्षों की सं0 – 36 **कुल पॉपलर वृक्षों की सं0 – 1704**		

मैंने निविदा शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा मोके पर जाकर पॉपलर वृखों का निरीक्षण कर लिया है मुझे सभी शर्तें मान्य हैं। निविदा फीस (Tender Fee) रू0 2240/– का ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....एवं रू0 1,00,00.00 की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....जो कि .... की पंतनगर शाखा में देय है, इस प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

निविदादाता का पूर्ण विवरण

निविदादाता का नाम .... पिता का नाम ....

ग्राम .... पोस्ट ....

थाना .... तहसील ....

जनपद .... फोन नः– ....

पैंन सं0 (आयकर सम्बन्धी) .... आधार सं0 ....

निविदादाता के हस्ताक्षर....................................

12/2/21

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर